



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY


भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

आधिप्रमाणित


किरेन रीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नाथ ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 822]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 822]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.1121.(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) तथा हवलदार (मंत्रालयिक) भर्ती नियमावली, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) तथा हवलदार (मंत्रालयिक) भर्ती (संशोधित) नियमावली, 2018 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) तथा हवलदार (मंत्रालयिक) भर्ती नियमावली, 2012,-

(क) नियम -3 में, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उक्त अनुसूची के कालम संख्या (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

(ख) अनुसूची में-

(i) कालम संख्या (4) में, सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) पद से संबंधित क्र.सं. 1 के सामने कालम के शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित कालम शीर्षक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर- 5
(रुपये 29200-92300)",

(ii) कालम(4) में, हवलदार (मंत्रालयिक) पद से संबंधित क्र.सं. 2 के सामने मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :-


स्तर- 4
(रुपये 25500-81100)",

[फा.सं.आर.नौ.1/2018-मंत्रा0-डीए.3-पर्स- III]

आर.बी.एस.नेगी, उप सचिव(कार्मिक- II)

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में दिनांक 19 अक्टूबर 2012 के अधिसूचना सा.का.नि. 787(अ) के तहत मुख्य नियमावली प्रकाशित की गई।

AUTHENTICATED BY


KIREN RIJJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

G.S.R. 1121(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force, Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force, Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2012,-

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.- The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.";

(b) in the Schedule,-

- (i) against serial number 1 relating to the post of Assistant Sub Inspector (Steno), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-5 (Rs. 29200-92300)";

- (ii) against serial number 2 relating to the post of Head Constable (Ministerial), in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-4 (Rs. 25500-81100)".

[F.No.R.IX.1/2018-Min-DA-3-PERS-II]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 787 (E), dated the 19th October, 2012.